

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक- 11.01.25

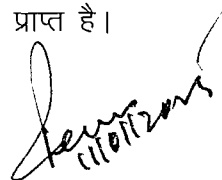
सं०सं०-17/विविध-01-207/2024 38/17) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा वर्षद्, पटना द्वारा अनुशसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति एवं पदस्थापित किया जाता है -

[MICROBIOLOGY-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000047	SUSHMA KUMARI	EB	UR	05-10-1979	F	BHS	PMCH Patna
2	9240000088	JYOTI KUMARI	BC	UR	19-03-1986	F	N	DMCH, Darbhanga
3	9240000187	NITU KUMARI	BC	UR	02-11-1979	F	BHS	DMCH, Darbhanga
4	9240000069	SIDDHARTHA KUMAR	EB	UR	21-05-1980	M	BHS	DMCH, Darbhanga
5	9240000077	TANUSHREE NARAIN	UR	UR	01-04-1987	F	N	PMCH Patna
6	9240000266	PITAMBAR KUMAR	EB	UR	06-10-1981	M	BHS	GMC Purnea
7	9240000036	VIKASH PRAKASH	SC	UR	08-06-1987	M	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
8	9240000144	KALYANI KALA	UR	UR	01-01-1979	F	BHS	BMIMS Pawapuri, Nalanda
9	9240000061	ASHUTOSH KUMAR SINGH	EB	UR	10-12-1986	M	BHS	ANMMCH, Gaya
10	9240000298	ANUBHA	SC	UR	27-12-1986	F	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
11	9240000149	DEEPAK KUMAR PINTU	EB	UR	11-11-1982	M	BHS	DMCH, Darbhanga
12	9240000090	PRABHAT RANJAN	BC	UR	26-02-1983	M	BHS	NMCH Patna
13	9240000136	SUSHANT SUMAN	BC	BC	14-02-1990	M	N	NMCH Patna
14	9240000152	SANJIV KUMAR	BC	UR	15-09-1987	M	BHS	BMIMS Pawapuri, Nalanda
15	9240000109	ARCHANA SINHA	BC	BC	02-01-1990	F	N	PMCH Patna
16	9240000068	KUMARI RITU	BC	UR	13-09-1991	F	BHS	PMCH Patna
17	9240000111	PANKAJ KUMAR	SC	UR	20-01-1991	M	BHS	DMCH, Darbhanga
18	9240000017	ZEBA NAJEEB	BC	BC	02-11-1992	F	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
19	9240000157	NEELAM KUMARI	EW	UR	15-02-1981	F	BHS	DMCH, Darbhanga
20	9240000139	DIPTI LAL	SC	UR	16-02-1984	F	BHS	NMCH Patna
21	9240000174	SHABBIR AHMAD	EB	UR	17-05-1985	M	BHS	GMC Bettiah
22	9240000028	PRIYADARSHINI	UR	UR	16-08-1989	F	N	SKMCH, Muzaffarpur
23	9240000150	ASHWINE KUMAR PANDEY	UR	UR	10-12-1989	M	BHS	GMC Bettiah

Signature

24	9240000006	PRITEE KUMARI	BC	BC	20-11-1990	F	N	SKMCH, Muzaffarpur
25	9240000112	NAZIA ANWAR	EB	UR	12-12-1991	F	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
26	9240000065	PREETI RANJANA	EB	EBC	28-12-1991	F	N	ANMMCH, Gaya
27	9240000215	KRISHNA GOPAL	BC	UR	14-02-1985	M	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
28	9240000002	RAJ KISHOR YADAV	BC	BC	24-04-1985	M	N	JNKTMC Madhepura
29	9240000221	MANINDRA KUMAR DIVYA	SC	SC	01-03-1986	M	N	ANMMCH, Gaya
30	9240000096	KHUSHBOO KUMARI	ST	ST	05-12-1991	F	BHS	PMCH Patna
31	9240000195	ADWITYAMA	BC	UR	03-12-1987	F	BHS	JNKTMC Madhepura

- यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
- EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम-11 के अन्तर्गत किया गया है।
- सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल-9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियाँ स्वास्थ्य विभागीय पत्राक-22(1) दिनांक-11.01.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत की जायेगी।
- टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
- नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा मूल शपथ-पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेंगे।
- किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिरिक्त पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त सस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद-त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
- नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि लगातार 15 दिनों से अधिक दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

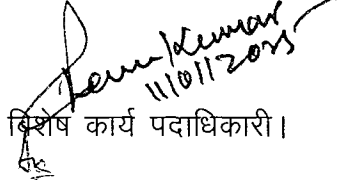
 28/17
11.01.25

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक -17/विविध-01-207/2024 - 38/17)

पटना/दिनांक- 11.01.25

- प्रतिलिपि - महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सभी संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


11/01/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।